

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अधिसूचना

संख्या-7 / विविध-30 / 2021.....

पटना, दिनांक

बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।- (1) यह नियमावली "बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024" कही जायेगी।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ** ।- इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो -
 - (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
 - (ii) "प्रशासी विभाग" से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग ;
 - (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ;
 - (iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ;
 - (v) "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है ;
 - (vi) "विभाग" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ;
 - (vii) "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित जिले का जिला शिक्षा पदाधिकारी ;
 - (viii) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल का क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ;
 - (ix) "शिक्षक" से अभिप्रेत है, ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली, 2020 से आच्छादित हैं। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत नियुक्ति हैं लेकिन इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक-स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे ;
 - (x) "प्रधान शिक्षक" से अभिप्रेत है, वैसे सभी प्रधान शिक्षक जो इस नियमावली के अधीन नियुक्त हैं ;
 - (xi) "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है, बिहार पंचायतराज अधिनियम 2006 के अन्तर्गत गठित जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अन्तर्गत गठित नगर निगम, निगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;

(xii) "स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020" से अभिप्रेत है, "बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020" एवं "बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020" तथा "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 ;

3. **संवर्ग का गठन** ।- (1) सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के लिए एक पृथक संवर्ग होगा।

(2) प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2(ix) में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। परन्तु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक-स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी एवं वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे।

(3) नियम 2(ix) के अन्तर्गत यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह भर्ती वर्ष की 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो।

(4) प्रधान शिक्षकों के आश्रितों का किसी प्रकार की अनुकम्पात्मक नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार होगी और आश्रितों की पात्रता एवं रिक्ति के अधीन होगी।

4. **नियुक्ति की प्रक्रिया** ।-

(1) शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक, प्रारंभिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस (समाशोधन) के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जाएगी।

(2) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा।

(3) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।

(4) परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा।

(5) विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अर्हतांक (कट-ऑफ मार्क्स) आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

(6) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

(7) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशांसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।

(8) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

5. आरक्षण |—

(1) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

(2) प्रधान शिक्षक का आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस (समाशोधन) से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समव्यवहार में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर बिन्दु 01 से प्रारंभ होगा।

6. वरीयता |—

(1) प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार किये गये मेधा सूची के अनुरूप होगी। प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों की एक समेकित वरीयता सूची होगी।

(2) यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा।

7. स्थानान्तरण |—

(1) प्रधान शिक्षक का पद स्थानान्तरणीय होगा।

(2) प्रधान शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रतिबद्धताओं अथवा जनहित में जिला के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(3) प्रधान शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गयी अवधि पूर्ण करने पर जिला के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(4) प्रधान शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिले के भीतर अथवा बाहर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। परन्तु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल दो बार इस प्रकार के विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है और प्रशासी विभाग अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के स्थानान्तरण के मामले में, संबंधित प्रधान शिक्षक को संगत नियुक्ति वर्ष की ग्रेडेशन सूची के निम्नतम पायदान पर रखा जाएगा।

(5) उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी, प्रशासनिक आधारों पर या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए या जनहित में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा किसी प्रधान शिक्षक का जिले के बाहर स्थानान्तरण किया जा सकेगा। ऐसे मामले में, संबंधित प्रधान शिक्षक की वरीयता नियम-6 के अनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी।

8. अनुशासनिक कार्रवाई |— प्रधान शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रिया का अलग से अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से जारी की जाएगी।

9. वेतन एवं अन्य भत्ते |— प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

10. निरसन एवं व्यावृत्ति ।—

10.1 इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक—स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 में निहित प्रावधान प्रधान शिक्षक के पद के लिए प्रभावी नहीं होगा।

10.2 बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

10.3 ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या अधीन किया गया था या की गयी समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

11. कठिनाई दूर करने की शक्ति ।— विभाग को इस नियमावली के किसी प्रावधान को स्पष्ट करने एवं अधिसूचनाओं और दिशा-निर्देशों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 /—
(के० के० पाठक)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :-7 /विविध-30 /2021..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 /—
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :-7 /विविध-30 /2021.....³⁸⁵ पटना, दिनांक ...²⁰⁻²⁻²⁰²⁴

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग